mhynn acen

STATE: Rajasthan

DATED:30/07/2015

Name, Address & File No. of Institute). Trade	Units for which affiliation sought / recommended by			Remarks
			Instt.	QCI	Approval by Sub- Committee of	
18	Shambhavi Private ITI Vill. Khajpur Old Post	, Electrician	2(1+1)	2(1+1)	NCVT 2(1+1)	Assessment-25/6/2015
	Khajpur New Teh Jhunjhunu,		2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	App003680 w.e.f. Aug 2015
	Dist. Jhunjhunu Pin-333001 Rajasthan	Plumber Health	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	
	DGET-6/20/22/2015-TC (New Pvt.)	Sanitary Inspector	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	
9 N	Hari Sankar Private ITI,	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	Assessment-13/7/2015
	Ganesh Nagar, Anah Sewar Road, Near Chamunda Mandir,	Fitter	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	App005371 w.e.f. Aug 2015
	Dist. Bharatpur Rajasthan	СОРА	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	
	DGET-6/20/32/2015-TC (New Pvt.)	Health Sanitary Inspector	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	
		3				
V	Shree Shyam Pvt. ITI /.P.O Mandrella,	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	Assessment-14/7/2015
D	Distt- Jhunjhunu, Teh- Chirawa	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	App003361 w.e.f. Aug 2015
R	ajasthan in- 333025	Plumber	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	
DO	GT-6/20/30/2015-TC	Health Sanitary Inspector	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	

-5-

NOTE: -*Affiliation for Electrician Trade has been granted in compliance of the DGTT letter DGTT-6/Court/33(4)/2015-TC Desk, dated 21.07.2015.

'कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं-

रिजिस्टर्ड वितायः 15 12 12

विषय: - राजस्थां चारेषा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे भें।

आपकी संस्था का रिजर्टीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक मिल्रिंग कि दिनांक 19/12/12 दिनांक 19/12/12 सलग्न है जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहाँ आपका ध्यान उवत अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) ओर भी आकर्षित किया जाता है। जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएँ भेजना जरूरी है —

- 1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसकों सौपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद के।
- एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।
- असंस्था के नियमों और विनियमों की एक तातारीख सही प्रतिलिपी जो शासी निकायों के शासकों संचालकों न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हों।

इसके अलाया संस्था के नियमों ओर विनियमों में किये गयें परिवर्तन की प्रतिलिपी जा उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर—अन्दर इस कार्यालय को पहुँच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनिमय की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधनों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है। तथा लगातार भग होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे अपराध के लिये प्रथम अपराध सिद्धि के पश्चात् तक जारी रहती है, पंचास रूपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 क' के अधीन राजस्त्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उसमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपी में जान व्यक्तर कोई मिश्या प्रविध्ट या लोप करता या करवाता है तो वह सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रूपये तक हो सकतों है।

नोट :- इस कार्यालय से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रिजस्ट्रेशन नम्बर एवं वर्ष अवश्य अंकित करें।

रालग्न - गुल रिजर्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, संघ विधान व नियमावली

/रजिस्टार संस्था है भरतपूरि रहा कार

No. DGT-12/1/2015-TC

Government of India

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

(Directorate General of Training)

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, dated 30.07.2015

To

The State Directors/UT Administrators Dealing with Craftsmen Training Scheme (As per the list enclosed)

Subject: Affiliation orders

Sir

The affiliation proposals, accredited by Quality Council of India (QCI), forwarded to DGT, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship were put up before the members of the Sub-Committee of National Council for Vocational Training (NCVT) dealing with affiliation of ITIs in its meeting held on 30.07.2015 at DGT Hqrs., New Delhi for its consideration and approval.

The Committee considered affiliation proposals and accorded approvals to proposals conforming to the NCVT Norms. Affiliation orders, State wise are enclosed herewith & also available on web site. The cases kept for clarification would be submitted in the next meeting on receipt of clarifications.

In case of any discrepancy is observed in the affiliation orders, same may be intimated to this Directorate General by 10.08.2015. Next meeting of Sub-Committee of NCVT dealing with affiliations is scheduled to be held on 25.08.2015 to consider cases for the session August 2015-16.

Yours faithfully,

Director of Training

Copy along with enclosures for information to:

1. The Regional Director of Apprenticeship Training RDAT- Chennai, Faridabad, Kanpur, Kolkata, Hyderabad, Mumbai and The Director, Foremen Training Institute, Bangalore.

2. National Accreditation Board for Education and Training (NABET), Quality Council of India, ITPI Building, 6th Floor, 4 - A, Ring Road, IP Estate, New Delhi - 110002- for record and intimation of deviation, if any.

3. To all concerned ITIs

(Sushil Agarwal)

Deputy Director of Training

1	1/4/4			1
H	12	(3)	7	0
1	19	UL	~	
	10			
1	M			
	14			
ZHE	O			

राजस्थान सरकार





रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक // ७०० | 20 12 - 20 13

यह प्रमाणित किया जाता है कि

52 ET 248421 m13-3 217 205 Samu N-2 21 21212 3 200 जिला " भरतपुर " का राजस्थान संस्था रनिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

E STE	प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से माह मह
िआज दिनांक . 👸	उनित माह
रान् दो हज़ार	को भरतपुर (राज०) में दिया गया।

